जिला क्षय नियन्त्रण कार्यालय चमोली।

क्षय रोग कार्यक्रम से संबंधित सूचना

वर्ष 2003 से जनपद चमोली में क्षय रोग के उन्मूलन हेतु पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोगियों के बलगम एवं एक्सरे आदि जांच तथा औषधियां पूर्णरुप से निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। जनपद में प्रत्येक विकासखण्ड में एक टयूबरकुलोसिस सेन्टर संबंधित प्रा0स्वा0केन्द्र/सामु0स्वा0केन्द्र में स्थापित है। सभी टयूबरकुलोसिस सेन्टर पर क्षय रोग से संबंधित जांच की जाती है तथा क्षय रोगियों को औषधि उपलब्ध करायी जाती है। क्षय रोगियों को डेली रेजीमन के अन्तर्गत प्रतिदिन औषधि दी जाती है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टी. बी. के रोगियों को पूर्णतः ठीक करना तथा टी. बी. के फैलाव को रोकना है।

टी. बी. एक घातक संक्रामक बीमारी है जो कि क्षय रोगाणु (माइकोबेक्टीरियम ट्युबरकुलोसिस) से फैलता है और यह बिना ईलाज जीवाणुयुक्त रोगी से किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को ड्रापलेट इंन्फेक्शन के माध्यम से लग सकती है। टी. बी. रोगी के खाँसने या छींकने से टी. बी. के जीवाणु हवा द्वारा फैलते हैं। टी. बी. विशेष रूप से फेफड़ों पर असर करती है, लेकिन इसका असर शरीर के अन्य भागों, जैसे मस्तिष्क, हड्डियों, ग्रंथियों आदि पर भी हो सकता है।

टी. बी. के रोगाणु वायु द्वारा फैलते हैं। जब फेफड़े की क्षय का रोगी खांसता या छींकता है वह लाखों–करोड़ों की संख्या में टी. बी. के रोगाणु थूक के छोटे कणों के रूप में वातावरण में फेंकता है। बलगम के छोटे–छोटे कण जब सांस के साथ स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं तब स्वस्थ व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित हो सकता है।

यदि किसी व्यक्ति को दो सप्ताह या उससे अधिक समय तक खाँसी रहे, तो टी. बी. की शंका हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बलगम जाँच हेतु ले जायें। उपचार के आरम्भ में ही माइकोबेक्टीरियम का ड्रग सेन्सिविटी टेस्ट किया जाता है। यदि रोगी पर ड्रग रेसिस्टेन्ट पाया जाता है तो वह रोगी एम.डी.आर. या एक्स.डी.आर. भी हो सकता है, ऐसे रोगियों का उपचार डाट्स प्लस साईट जौलिग्रान्ट मेडिकल कॉलेज के निर्देशानुसार किया जाता है तथा रोगी को यात्रा भत्ता विभाग द्वारा दिया जाता है एवं उसका सुपरविजन डी.टी.सी. चमोली (गोपेश्वर) से किया जाता है।

आर.एन.टी.सी.पी. का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी क्षय रोगियों में अतिशीघ्र रोग की पहचान कर पूर्ण उपचार किया जाये। केस डिटेक्शन के लिए समय–समय पर जनपद चमोली में एक्टिव केस फाइडिंग कैम्पेन चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माइग्रेन्ट इत्यादि का घर–घर जाकर क्षय रोगियों की पहचान की जाती है तथा उनका उपचार पूर्ण कराया जाता है।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त सभी क्षय रोगियों को जांच के दौरान ब्लड शुगर की भी जांच की जाती है। ऐसे रोगियों में टी.बी. होने की संभावना कई गुना अधिक होती है। यदि बलगम धनात्मक क्षय रोगी पाये जाते है तो उन रोगियों के बच्चों को जिनकी आयु 06 वर्ष से कम है उन्हें प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेन्ट आइसोनैक्स 10 मिलिग्राम प्रति किग्रा0 शारीरिक वनज के हिसाब से दिया जाता है।

आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत सभी क्षय रोगियों को उपचार के दौरान पोषण आहार भत्ता रु0 500.00 प्रतिमाह की दर से दिया जाता है। सभी क्षय रोगियों का नोटिफिकेशन निक्षय पोर्टल पर होना आवश्यक है चाहे वह सरकारी या प्राइवेट चिकित्सक द्वारा उपचार प्राप्त कर रहे हो। दोनों ही प्रकार के रोगियों का सुपरविजन आर.एन.टी.सी.पी. में कार्यरत एस.टी. एस., डाट्स प्लस सुपरवाइजर, टी.बी.एच.वी., आशा कार्यकत्री के माध्यम से किया जाता है।